

**प्रेस विज्ञप्ति**  
**सॉवरन स्वर्ण बांड 2021-22**

भारत सरकार ने, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, सॉवरेन गोल्ड बांड जारी करने का निर्णय लिया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स चार किशतों में कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक जारी किए जाएंगे, जो इस प्रकार हैं:

S. No.	Tranche	Date of Subscription	Date of Issuance
1	2021-22 श्रृंखला-VII	अक्टूबर 25 - 29, 2021	नवम्बर 02, 2021
2	2021-22 श्रृंखला-VIII	नवम्बर 29- दिसम्बर 03, 2021	दिसम्बर 07, 2021
3	2021-22 श्रृंखला-IX	जनवरी 10-14, 2022	जनवरी 18, 2022
4	2021-22 श्रृंखला-X	फरवरी 28- मार्च 04, 2022	मार्च 08, 2022

बॉन्ड्स को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (लघु वित्तीय बैंक और भुगतान बैंक को छोड़कर), स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एस एच सी आई एल), भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सी.सी.आई.एल.), नामित डाकघरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से बेचा जाएगा। बॉन्ड की विशेषताएं इस प्रकार हैं:

क्रमसं.	मद	ब्यौरे
1	उत्पाद का नाम	सॉवरन स्वर्ण बांड 2021-22
2	निर्गमन	भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाएंगे।
3	पात्रता	ये बांड व्यष्टियों, हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों, न्यासों, विश्वविद्यालयों, पूर्त संस्थाओं सहित निवासी भारतीय व्यष्टियों को ही बिक्री किए जाएंगे।
4	मूल्यवर्ग	इन बांडों को 1 ग्राम की मूल यूनिट के साथ ग्राम (ग्रामों) के गुणजों के मूल्यवर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा।
5	अवधि	बांड की अवधि 8 वर्ष की होगी और 5वें वर्ष से इससे हटने का विकल्प होगा जिसका प्रयोग आगामी ब्याज संदाय तारीखों पर किया जा सकेगा।
6	न्यूनतम मात्रा	न्यूनतम अनुमत निवेश 1 ग्राम सोना होगा।
7	अधिकतम सीमा	निवेशकी अधिकतम सीमा व्यक्तियों के लिए 4 किलोग्राम, एचयूएफ के लिए 4 किग्रा और ट्रस्टों के लिए 20 किग्रा और सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रति वित्तीय (अप्रैल-मार्च) जैसी संस्थाओं की होगी। इसके संबंध में, स्वघोषणा प्राप्त की जाएगी। वार्षिक अधिकतम सीमा में, सरकार द्वारा आरंभिक निर्गम के दौरान विभिन्न ट्रांचों के अंतर्गत अभिदत्त बांड और द्वितीयक बाजार से खरीदे जाने वाले बांड शामिल होंगे।
8	संयुक्त धारक	संयुक्त धारिता के मामले में निवेश सीमा 4 किलो ग्राम केवल प्रथम आवेदन के लिए लागू होगी।
9	निर्गमन मूल्य	बांड का मूल्य अभिदान की अवधि से पहले सप्ताह के अंतिम तीन कार्य दिवसों के लिए इंडियन बुलियन एंड जूलर्स एसोसिएशन लि. द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले सोने के सामान्य औसत के आधार पर भारतीय रुपए में तय किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने वालों और इसका भुगतान डिजिटल रूप में करनेवालों के लिए स्वर्ण बांड का निर्गम मूल्य अंकित मूल्य से 50 रुपए प्रति ग्राम कम होगा और इसका भुगतान डिजिटल रूप में किया जाएगा।

10	भुगतान का विकल्प	बांडों के लिए भुगतान इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, नकद भुगतान(अधिकतम 20,000 रूपए) /चैक अथवा डिमांड ड्राफ्ट के जरिए होगा।
11	निर्गमन का प्रकार	स्वर्ण बांडजीएस अधिनियम, 2006 के अंतर्गत भारत सरकार स्टाकके रूप में जारी किए जाएंगे। निवेशकों को स्टाक/होल्डिंग प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। ये बांड डिमेट रूप में रूपांतरण हेतु पात्र होंगे।
12	उन्मोचन मूल्य	उन्मोचन मूल्य आईबीजेए द्वारा प्रकाशित999 की शुद्धता वाले सोने के पिछले तीन कार्य दिवस के लिए बंद मूल्य के साधारण औसत के आधार पर भारतीय रूपए में होगा।
13	बिक्री के चैनल	बांड यथासूचित के अनुसार बैंकों, स्टॉक हाउल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एस एच सी आई एल), नामित डाक घरों, नामित स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) से सीधे या एजेंटों के जरिए बेचे जाएंगे।
14	ब्याज दर	निवेशकों को निवेश के आरंभिक मूल्य पर 2.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की नियत दर पर अर्धवार्षिक रूप से देकर प्रतिपूरित किया जाएगा।
15	संपार्श्विक	बांडों को ऋणों के लिए संपार्श्विक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। मूल्य के प्रति ऋण का अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिदेशित साधारण सर्वरण ऋण के बराबर निहित किया जाएगा।
16	केवाईसी प्रलेखन	अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) मानदंड वही होंगे जो वास्तविक सोने की खरीद के हैं। केवाईसी दस्तावेज जैसे मतदाता पहचानपत्र, आधार कार्ड/पैन या टैन/पासपोर्ट जरूरी होंगे।
17	कर उपचार	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अनुसार स्वर्ण बांड पर ब्याज करादेय होगा। किसीव्यक्ति को एसजीबी के उन्मोचन से प्राप्त पूंजी लाभ कर पर छूट दी गई है बांड अंतरित किए जाने पर किसी व्यक्ति को मिलने वाले दीर्घावधिक पूंजी लाभों के लिए सूचीकरण लाभ दिए जाएंगे।
18	व्यापार योग्यता	ये बांड स्टाक एक्सचेंजों में व्यापार-योग्य होंगे।
19	एसएलआर पात्रता	ये बांड सांविधिक नकदी अनुपात के लिए पात्र होंगे।
20	कमिशन	प्राप्तकर्ता कार्यालयों द्वारा बांड के वितरण के लिए कमिशन कुलअभिदान राशि के 1 प्रतिशत की दर पर अदा किया जाएगा। और प्राप्तकर्ता कार्यालय उनकेद्वारा किए गए कारोबार के लिए एजेंटों अथवा उप एजेंटों के साथ प्राप्त कमीशन का 50 प्रतिशत भाग साझा करेंगे।

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
आर्थिक कार्य विभाग  
बजट प्रभाग  
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001  
दिनांक 21 अक्टूबर, 2021.